

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 757 वीं बैठक दिनांक 24/05/2024 को डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, को-चेयरमैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
2. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
3. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
4. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No. P2/798/24 Shri VISHAL KALIA, Owner, Professors Colony, Chhindwara District Chhindwara (MP) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.12 ha. (33,000 cum per annum) (Khasra No. 44, 40, 42/1-2-3-4) Village Narangi Tehsil Mohkhed District Chhindwara (M.P.). [MIN/467150/2024 (DEIAA- Re-appraisal)] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri VISHAL KALIA, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अंकुर शर्मा (ऑनलाईन). मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri VISHAL KALIA, Owner, Professors Colony, Chhindwara District Chhindwara (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	44, 40, 42/1-2-3-4(निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.12hectare.
स्थल	Village Narangi Tehsil Mohkhed District Chhindwara (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 1218 दिनांक 30/06/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA- Re-appraisal.	

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 706 दिनांक 11/07/17 के द्वारा पत्थर-33,345 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-33,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-33,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 298 दिनांक 21/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 298 दिनांक 21/02/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 298 दिनांक 21/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खूनाझिरखुर्द जिला छिंदवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 20/01/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों की संख्या 05 इनमें से कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा- पक्का रास्ता 75 मी. इस संबंध में परियोजना प्रस्तावित ने बताया कि लगभग 1.4 मी. है. गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है। अतः खनन हेतु 1.72 हे. खनन हेतु उपलब्ध होता है एवं लीज के उत्तर पश्चिम दिशा में कुछ शेड हैं जो कि खदान के भू-स्वामी के साईट आफिस हैं। पश्चिम दिशा- स्टॉप डैम 540 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-31 के सरल

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

क्रमांक-63 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 90 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन खुदा हुआ है। लीज एरिया लगभग 10 मी. खुदा हुआ बताया गया ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	नहीं पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैच्रेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया किखदान क्षेत्र में लगभग .150 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि खदान के डीजीपीएस कार्डिनेट पर आधारित केएमएल ईमेज प्रस्तुत की गई है। समिति ने इस संबंध में जिले के खनिज अधिकारी से डीजीपीएस कार्डिनेट सत्यापित कराकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

2. Case No. P2/822/24 Shri Santosh Kumar, Ward no. 9, Near Lohiya Ata Mil, Bhagat Singh Colony, Singrauli (M.P.) 486889. Prior Environment Clearance for Sirgudi Stone Quarry, Khasra No. - 730, 731, Lease Area- 2.00 ha., Proposed Production Capacity – 19,979 Cum/Year.Village Sirgudi, Tehsil Chitrangi, District Singrauli (M.P.). B2 (Form-2 DEIAA to SEIAA). [MIN/467956/2023] (B2)

प्रकरण आज सेक की 757वीं बैठक दिनांक 24/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

3. Case No. 10628/23. Shri Akshat Sharma, Director, M/s SGA Organics Private Limited, Plot no. 116, Smart Industrial Park, Near NATRIP, Pithampur, District-Dhar (MP)-454775, Prior Environment Clearance for Proposed Project for Manufacturing of Basic Organic Chemicals in an area of 0.80 Ha. (8172 TPA) at (Topo Sheet No. F43J10) Village-Suhagpura, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP) Cat 5 (f) Synthetic Organic Chemicals Project. [IND3/469220/2024] (EIA)

PP submitted following details on Parivesh Portal.

SN	Projects DetailsRemarks	
1.	Online Proposal No	SIA/MP/IND3/469220/2024
2.	Proposal /Activity	Shri Akshat Sharma, Director, M/s SGA Organics Private Limited, Plot no. 116, Smart Industrial Park, Near NATRIP, Pithampur, District-Dhar (MP)-454775, Prior Environment Clearance for Proposed Project for Manufacturing of Basic Organic Chemicals in an area of 0.80 Ha. (8172 TPA) at (Topo Sheet No. F43J10) Village-Suhagpura, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP) [445323]. Cat 5 (f) Synthetic Organic Chemicals Project. SIA/MP/IND3/469220/2024
3.	Name/ Location of Project	
4.	No Construction	PP Submit Affidavit dated 22/09/2023.
5.	Description of Project	<i>M/s SGA Organics</i> proposes their green field project for manufacturing of Basic Organic Chemicals at Plot number 116, Smart Industrial Park, Near NATRIP, Pithampur, Dist Dhar (MP).
6.	Project Cost	8300 Lakh.
7.	ToR Status	ToR Recommended in 693 rd SEAC Meeting Dated 20/10/2023. ToR letter issued by MPSEIAA letter no. 2132 Dated 01/12/2023.
8.	Production Qty.	As per Parivesh Portal.
Documentary Details		
9.	CEPI Apply	PP Apply letter dated 21/09/2023.
10.	D.G. Set details	100 KVA (proposed).
11.	DFO NoC details	PP Apply letter dated 21/09/2023.
12.	Inter State Boundary distance	PP Apply letter dated 21/09/2023.
13.	Land Documents	Land registry registerd copy submit.
14.	Env. Con.	Shri Pradeep Chandan & Shri Shubham Dubey, M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.).
15.	PFR	Submitted by PP.
16.	Risc Assessment	Submitted by PP.
17.	Any tree cutting proposed is observed	No Tree Cutting. Trees Uprooted Proposed -

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

18.	Google image status
-----	---------------------

The EIA was presented by Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P and PP Shri Akshat Sharma, Director, M/s SGA Organics Private Limited. Whrein PP submitted that this propose projecta green field project for manufacturing of Basic Organic Chemicals. (Iso Amyl Alcohol, Aroma Chemicals, Flavours & Fragrances Ingredients) at 116, Smart Industrial Park, Near NATRIP, Pithampur, Dist. Dhar (MP).

PP submitted following salient features of the project:

- *M/s SGA Organics Private Limited* proposes a green field project for manufacturing of Basic Organic Chemicals. (Iso Amyl Alcohol, Aroma Chemicals, Flavours & Fragrances Ingredients) at 116, Smart Industrial Park, Near NATRIP, Pithampur, Dist. Dhar (MP).
- The total land area of the project site is 8000 m².
- The total production capacity of the plant is 8172 MT/year.
- The proposed project is falling under Project /Activity 5(f), Synthetic organic chemicals industry (dyes & dye intermediates; bulk drugs and intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical intermediates) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, Madhya Pradesh.
- In the project area out of 13 tree 03 tree are proposed for felling .

PP has submitted the response of quarries same date vide letter dated 24.05.2024. which was placed before the committee and the same found satisfactory and acceptable

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

hence the case was recommended for grant of **Prior Environment Clearance for “Manufacturing of Basic Organic Chemicals” by SGA Organics Private Limited at Plot No. 116, Smart Industrial Park, Near NATRIP, Pithampur, Dist. Dhar (MP)., Cat. -5(f).** Subject to the following special conditions:

Proposed products:

S. No	Product list	Proposed Quantity (MT/Year)	End Use
1	Iso Amyl Alcohol & its derivatives	1500	Flavouring & Fragrance Agents
2	Esters	1800	Flavouring & Fragrance Agents, Paint & coating, and Pharma API
3	Aroma Chemicals	500	Cosmetic & Fragrance agent
4	Sodium salt of various acids	200	Industrial application
5	Purification and distillation processing	1500	Paint and coating
6	Ether	600	Flavour and fragrance agents
7	Alkylated Derivatives	500	Flavour and fragrance agents
8	Halogenated Compound	100	Flavour and fragrance agents
9	Safranal	12	Perfumery, flavouring agent
10	Hydrogenated Compound	400	Flavour and fragrance agents
11	Lactone	240	Flavour and fragrance agents
12	Synthetic & Natural Essential oils & their derivatives	180	Flavour and fragrance agents

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

13	Aldehyde	400	Flavour and fragrance agents
14	Ketone	240	Flavour and fragrance agents
	Total Quantity (MT/Yr)	8172	

(A) Statutory compliance:

1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

(B) Air quality monitoring and preservation

1. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to MPPCB and CPCB online servers and calibrate these systems from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
2. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986.
3. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. The gaseous emissions from the boiler, DG set and scrubber shall be

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines as follows:

S. No	Source	Fuel	Capacity	Stack Height (m)	APCM
1	Boiler	Agro waste/Briquettes/ Wood/ Coal	2 Nos X 1 TPH	30 Meters	Bag Filter
2	Thermic Fluid Heater	Agro waste/Briquettes/ Wood/ Coal	TF Heater-1 – 6 L kcal/hr TF Heater 2- 10 L kcal/Hr	30 meters	Bag Filter
3	DG sets (as stand by)	Diesel	1x 150KVA	9 Meters	Adequate Stack Height
4.	Process vent	-	-	12	Two stage water scrubber

4. Storage of raw materials, chemicals etc shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.
5. The DG sets (1x150 kVA) shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
6. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
7. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied with.

(C) Water quality monitoring and preservation

1. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
2. “Zero Liquid Discharge” shall be ensured using ETP (5-KLD), MEE (3-KLD) followed by centrifuge and no waste/treated water shall be discharged outside the premises. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05 X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB’s server for remote operations.
3. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
4. Total fresh water requirement shall not exceed 20 KLD and as proposed, in case, if in-house bore or tube well is required, then CGWA permission shall be obtained before extracting ground water.
5. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
6. The Company shall harvest rainwater, after taking permission from State Pollution Control Board, from the roof tops of the admin buildings. Process building, raw material and finished goods storage building shall not be used for ground water recharging.
7. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

(D) Noise monitoring and prevention

1. Acoustic enclosure shall be provided to DG sets (1x150 kVA) for controlling the noise pollution.
2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

(E) Energy Conservation measures

1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.
2. The total power requirements for project will be 450 kVA.
3. The power will be supplied by Madhya Pradesh Electricity Board.

(F) Waste management

1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
2. Hazardous waste such as Used oil, Discarded containers/drums, shall be handled & disposed as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 as follows:

S. No.	Type of Waste	Category	Quantity MTPA	Disposal facility
1	ETP sludge	35.3	16	Collection, Storage, Transportation & Disposal to TSDF site.
2	Distillation Residue	20.3	4.5	
3	Carbon and other Filter Material	28.3	0.2	
4	Used Oil	5.1	0.2	Collection, Storage & given to the authorised recyclers.
5	Discarded Containers	33.1	40.0	Collection, storage, transportation & disposal by selling to Authorize recyclers.
6	Waste or residues containing oil	5.2	0.15	

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

7	Inorganic Acids	B15	30.0	HCl (30%): Disposal by sell out to authorized users is having authorization with valid CCA and rule 9 permission to receive this waste.
8	Spent Solvents	20.2	40	Collection, storage, transportation and disposal by sending to Rule 9 authorized re-processor / sending for co-processing.
9.	MEE Residue	35.3	30	Collection, Storage, Transportation & Disposal to TSDF site.

3. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
4. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate firefighting systems should be provided for the storage area.
5. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
6. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is at least 150 mm above the maximum flood level.
7. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.
8. Storage areas should be provided with adequate number of spill kits at suitable locations. The spill kits should be provided with compatible sorbent material in adequate quantity.
9. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
10. Proper firefighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.

11. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
12. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
13. ETP sludge, process inorganic salt shall be disposed off to the TSDF.

(G) Green Belt

1. The green belt of 5-10 m width shall be developed near the total project area, mainly along the plant periphery, in downward wind direction and along road sides etc. Selection of plant species shall be as per the CPCB guide lines in consultation with the State Forest Department.
2. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. 33% (2640 sq m) Plantation shall be developed by PP.
3. PP also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.

(H) Safety, Public hearing and Human health issues

1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Firefighting system shall be as per the norms.
3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

(I) EMP& Corporate Environment Responsibility

1. The proposed EMP cost is Rs. 99.6 lakhs and 12 lakhs/year as recurring cost and out of which the Environment Monitoring Cost for the project is 03 lakhs and Rs. 09 lakhs is proposed for green belt development.
2. Under CER activity, capital cost is Rs. 16.6 lakhs proposed for different activities as mentioned below:

S.No.	Particulars	Total in lacs	First year	Second Year	Third Year
1	Infrastructure development of Govt High School, Achana.	5	2	2	1
2	Skill development programme for youth of the surrounding villages with the help of ITI.	9.6	3.2	3.2	3.2
3	Health check-up camps, distribution of medicines, eye check-up camps, and heart check-up camps at Chandankhedi, Kunwarsi.	2	0.6	0.6	0.8
	Total in lac	16.6	5.8	5.8	5

3. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
4. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of

the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

5. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
6. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
7. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.
8. Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Miscellaneous

1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC.
2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
5. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. Case No. P2/835/24 Shri Gopal Agarwal S/o Late Shri Om Prakash Agrawal, Lessee R/o Hanuman Santar Bajaj Khana Morar Gwalior, (M.P.) - 474006. Prior Environment Clearance for Rafadpur Stone Quarry at Khasra No.– 133, an Area - 1.00 ha., khasra No. - 133, at Village - Rafadpur, Tehsil - Dabra, District- Gwalior (M.P.). with Production: Stone - 25,000 M³/ Year. [MIN/461137/2024] (ToR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Gopal Agarwal, Lessee एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Gopal Agarwal S/o Late Shri Om Prakash Agrawal, Lessee R/o Hanuman Santar Bajaj Khana Morar Gwalior, (M.P.) - 474006. Prior Environment Clearance for Rafadpur Stone Quarry at Khasra No.– 133, an Area - 1.00 ha., khasra No. - 133, at Village - Rafadpur, Tehsil - Dabra, District- Gwalior (M.P.).with Production: Stone - 25,000 M ³ / Year. Form 2 DEIAA to SEIAA ToR Case. SIA/MP/MIN/461137/2024.
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.–133, एरिया—1.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village - Rafadpur, Tehsil - Dabra, District- Gwalior (M.P.).
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 185 दिनांक 09/03/2018.
पर्यावरणीय स्वीकृति	Fresh EC.
Description of Project	It is a stone quarry with a production capacity of 25,000 cubic meters per year of Gitti having a lease area of 1.00 hectares, previously EC was issued by DEIAA Gwalior at Khasra no. - 133, Village - Rafadpur, Tehsil - Dabra, District - Gwalior (M.P.). Now we are applying for fresh EC in SEIAA as per the Honorable NGT OA 142 of 2022 dtd. 07/12/2022.
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया ग्वालियर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र0. 273 दिनांक 05/10/2018 के द्वारा जारी की गई है (स्टोन – 25,000

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

	घनमीटर/वर्ष)।
उत्पादन क्षमता	● स्टोन –25,000घनमीटर/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1839 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 29 अन्य खदाने स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 51.294 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1839 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1839 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	कार्यालय ग्राम पंचायत – लदेरा, जिला – ग्वालियर द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र0. 11 दिनांक 27/01/2018 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जल/वायु सम्मति वैद्यता	Consent issued date - 03/12/2021 Valid up to 14-05-2025.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 35 के सरल क्रमांक – 69 पर दर्ज है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

5. Case No. P2/800/24 SUNITA KUMAWAT, Lessee, R/o-H.No. A/23, Dongre Nagar Ratlam, District-Ratlam M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.20 ha. (Stone – 8550 m3/Year) (Khasra No. 2/4/2), Village- Rajpura, Tehsil- Ratlam, and District- Ratlam (M.P.) [MIN/467035/2024] (B2)

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 24.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमति सुनीता कुमावत पति श्री जसवंत जी, ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमति सुनीता कुमावत पति श्री जसवंत जी, नि:-ए 23, डोंगरे नगर रतलाम तहसील रतलाम जिला-रतलाम (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(निजी भूमि -नॉन फॉरेस्ट लैंड) खसरा नं. 2/4/2	1.20Hectare.
स्थल	ग्राम राजपुरा, तहसील-रतलाम, प.ह.न.-24, जिला-रतलाम (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के स्वीकृति ओदेश पत्र क्र 580/खनिज/2017-18 दिनांक 31/08/2017 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है,	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण बी-2 श्रेणी।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 556/DEIAA /DEAC/2017-18 दिनांक 22/08/2017 के द्वारा पत्थर गिट्टी क्षमता-8,550 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	लागू नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर गिट्टी -8,550 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर गिट्टी -8,550 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक /1797/खनिज/2023-24 दिनांक 17/08/2023 रतलाम अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 1 खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.20हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक /1797/खनिज/2023-24 दिनांक 17/08/2023 रतलाम के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक /1797/खनिज/2023-24 दिनांक 17/08/2023 रतलाम के अनुसार आवेदित क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी कोई अंतर्राज्य सीमा नहीं है	

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत राजपुरा के अनापत्ति पत्र दिनांक 16.04.2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree felling -NO
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा – 1.दक्षिण दिशा में नाला परिलक्षित हो रहा जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि नाले से ५० मीटर तक कोई भी खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं प्रस्तुत मेप में सेटबैक दर्शाया गया है । 2. उत्खनिपट्टे के दक्षिण दिशा में 490 मीटर पर कुछ घर स्थित है
	उत्तर दिशा – उत्खनिपट्टे से उत्तर दिशा में 345 मीटर पर एक नाला परिलक्षित हो रहा है ।
	पूर्व दिशा – उत्खनिपट्टे से पूर्व दिशा में 260 मीटर पर एक चेक डैम है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-11 के सरल क्रमांक-67 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	लागू नहीं है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था । समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया ।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 30 प्रतिशत पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई ।

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2024

अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 30 पेड़ लगाये गये एवं 50 पौधे ग्रामवासियों को बांटे गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता –पत्थर–8,550 घनमीटर/वर्ष है।
2. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम, 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
3. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
7. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
8. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

9. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
10. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production.
11. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 7.05 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.1.75 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurring
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 520 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	70,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 150 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	45,000	5,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@1000/yr Soil@4000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 1440 nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year -up to ~580m periphery of Mine lease boundary (580nos.)	87,000	40,000

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) 1st year- 100 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) 2nd year- 50 nos. at Govt. school @ Rs 150 (as boundary wall is present there - 1st year- 710 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 7500 35500	10,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain	6,000	1,000
	Soil & manure bought from out side @Rs 100/cubic meter, for plantation 0.124 cubic meter soil use for per tree. So 84.32Cubic meter soil needed for no. of 680 trees	8432	
6	Total Wire Fencing = (~578m long) - {20% completed= 175 m} (70% Remaining to be installed = 403m @500 Rs./m	201500	25,000
7	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	500
Labor Welfare			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	10,000	5,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female)	10,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers. including 1 safety harness for the worker involved in blasting/drilling works - (@Rs 2000 per set)	18,000	5,000
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	10,000	2,000
Solid Waste Management			
15	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Pit and Composting	3,000	
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
16	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area	30000	

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

17	Expenditure required for the distribution of the LED bulbs total 200 nos @Rs 120 /bulb for the mitigation towards the carbon.	20000	
	Total	7,05,432	1,75,500

12. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम राजपुराके शासकीय विद्यालय विकास हेतु अधोसंरचना विकास के अंतर्गत उल्लेखित राशि 3 माह के भीतर राजपुराके शासकीय माध्यमिक विद्यालय के बैंक खाते में जमा करवा दी जावेगी	60,000/-
कुल	60,000/-

13. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1440 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन एवं गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आवलों, कटहल, जामुन, आम , जामफल, जंगल जलेबी, आदि	580
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	100
3.	ग्राम राजपुरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
3	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	710

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. Case No. P2/795/24 Karan Singh Thakur, Director, PRATHVI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, R/o- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.00 ha. (Stone – 50000 m³Year, OB-24560 m³/Year) (Khasra No. 1/1 Min-2 & 1/2 Peki), Village Chapda, Tehsil Bagli, District Dewas (M.P.) [/MIN/466820/2024 (TOR)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर/ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री करण सिंह ठाकुर, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरातउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Karan Singh Thakur, Director, PRATHVI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, R/o- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.P
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1/1 Min-2 & 1/2 Peki (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 3.00 hectare.
स्थल	Village Chapda, Tehsil Bagli, District Dewas (M.P.)
लीज स्वीकृति	(कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 1924 दिनांक 06/10/2023 श्री जयदीप उदावत से करण सिंह ठाकुर के नाम अंतरण किया गया है)
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया देवास के पत्र क्रमांक 196 दिनांक 20/12/2017 के द्वारा पत्थर-12500 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट (डिया से सिया)

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone – 50000 m3Year, OB-24560 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone – 50000 m3Year, OB-24560 m3/Year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5132 दिनांक 19/3/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.79 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1. श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5132 दिनांक 19/3/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5132 दिनांक 19/3/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चापड़ा जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 18 दिनांक 15/8/2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण देवास जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-21. पर दर्ज है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टैण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

7. Case No. P2/808/24 Shri ROHAN SHARMA, Project Proponent, S/o Nandkishor Sharma R/O- Sajjan Mill Road, Ratlam (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (6175 cum per annum) (Khasra No. 222/1)

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

**Village- Nandlai, Tehsil- Ratlam, Dist.- Ratlam, (M.P.). (TOR)
[MIN/460035/2024] (TOR)**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री रोहन शर्मा, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **Aseries Envirotek India Pvt Ltd** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	ROHAN SHARMA, Project Proponent, S/o Nandkishor Sharma R/O-Sajjan Mill Road, Ratlam , M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	222/1(Govt. Land)	1.0 hectare.
स्थल	Village- Nandlai, Tehsil- Ratlam, Dist.- Ratlam (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 2362 दिनांक 04/10/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Gitti Stone – 6175 m ³ /Year घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Gitti Stone – 6175	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 03 दिनांक 01/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 7.100 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 03 दिनांक 01/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 03 दिनांक 01/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जामथुन जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 23 दिनांक 15/7/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 227 दिनांक 14/2/2024 । खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

8. Case No. 9589/2022 Shri Satish Bansal, Owner, R/o Village-Tatarpur, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)-475661, Prior Environment Clearance for Tatarpur Stone (Gitti) Quarry in an area of 1.50 ha., Existing Capacity – 20,000 cum per annum, Proposed Capacity – 80,000 cum per annum. Total Capacity – 1,00,000 cum per annum. (Khasra No. 626, 627 (New 777, 793), Village-Tatarpur, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) Shri Satish Bansal, Owner, R/o Village - Tatarpur, Tehsil - Bhander, District - Datia (MP) 475661, [MIN/469584/2024] (EIA).

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Satish Bansal, Owner, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

Following details are submitted by PP on Parivseh portal.

S N	Projects Details	
1.	Name of the project /Company / Organisation, Proposal No	Shri Satish Bansal, Owner, R/o Village -Tatarpur, Tehsil - Bhander, District - Datia (M.P.) - 475661, Prior Environment Clearance for Tatarpur Stone (Gitti) Quarry in an area of 1.50 ha. (1,00,000 cum per annum) at Khasra No. 626, 627 (New 777, 793), Village - Tatarpur, Tehsil - Bhander, District – Datia, (M.P.), <u>EIA Presentation. SIA/MP/MIN/469584/2022.</u>
2.	ToR Status	ToR Recommended in SEAC Meeting Dated / /
3.	Date of Public Hearing	07/02/2024.

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

4.	EC Status (Fresh/ Exp.)	DEIAA EC issued vide letter No. 50-11 dt. 23/06/16. (Capacity- 20,000 M ³ /Year).		
5.	Khasra No. / Lease Area (Govt. or Private)	Khasra No.-. 626, 627 (New 777, 793),	1.50 Ha.	Govt. Land.
6.	Location of Project	626, 627 (New 777, 793), Village - Tatarpur, Tehsil - Bhandar, District - Datia (M.P.)		
7.	Production Quantity in m ³ /year	Stone – 1,00,000 Cubic Meter/Year,		
8.	Description of Project	The Environment Clearance is required for mining project at targeted production of 1,00,000 Cu. m. Stone (Gitti) per annum.		
9.	Latitude/ Longitude	Latitude 25°43'02.94"N to 25°43'06.72"N, Longitude 78°44'21.74"E to 78°44'26.60"E		
10.	CGWA / G S NOC	Undertaking : आवेदक द्वारा दिनांक 21.09.2021 द्वारा सूचित किया है, कि खदान संचालन के दौरान जलापूर्ति ग्राम पंचायत से की जावेगी।		
Documentary Details				
11.	M.O. Certificate (within 500 Meter details)/ Ekal Praman Patra.	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. 918 date 12/08/21. Total Mine No. not given Ekal Praman Patra Total Area – 26.70 ha.		
12.	Lease Sanction Order/ Agreement / LoI	Revised Ordet No. 1321-4 date 24/11/2016.		
13.	Tehsildar Certificate	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. 918 date 12/08/21.		
14.	DFO NOC	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. 918 date 12/08/21.		
15.	प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• खदान क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं है		
16.	प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिणी पश्चिमी दिशा में 270 मीटर पर आबादी क्षेत्र है		
17.	केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है		
18.	Gram Sabha Tharav Prastav/ NOC (GP).	Letter No. - 28 dated 14/04/2015.		
19.	Production Quantity as per Approved Mining Plan	Stone -1,00,000 Cubic Meter/Year,	Mine Plan page no.- 19.	
20.	Env. Consultant:	MR. Amit Saxena , Apex Mine tech, Udaipur (Raj). Valid up to 16/04/2024.		
21.	प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-23 के सरल क्रमांक- 18 पर दर्ज है।		

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

22.	Consent (Water/Air)	Date of latest consent issued - 24/09/2019, Valid up to 24/09/2023.
23.	PFR	Submitted by PP.
24.	EMP	Submitted by PP.
25.	जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।
26.	Risk Assessment	Submitted by PP.
27.	Google image status –	Cordinates as per Mine Plan Page No. – 10.

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि क्षमता विस्तार का प्रकरण है। पूर्व में डिया द्वारा स्टोन की 20,000 घन मी./वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति डिया द्वारा प्रदाय की गई थी प्रस्तावित क्षमता विस्तार 80,000 घन मी./वर्ष है अतः खदान की कुल क्षमता 1,00,000 घन मी./वर्ष होती है। कलस्टर में कुल 11 खदाने हैं जिनमें 06 खदाने संचालित हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अन्य संचालित खदानों के परियोजना प्रस्तावक से सहमति बनाकर विस्तृत कलस्टर प्लान तैयार कर 06 माह में सिया को प्रस्तुत किया जावेगा। कलस्टर प्लान अंतिम रूप दिये जाने पर अपना अंशदान देंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई ईसी कम्पलाईन्स रिपोर्ट क्रमांक 18डी-62 (2024)/डिया दिनांक 22/05/2024 प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	आंशिक रूप से
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	आंशिक रूप से
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 50 पेड़ लगाये गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया

पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विंष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 1,00,000घनमीटर/वर्ष
2. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
5. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
- 7- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or ay environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

8. पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूंजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्पिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	75,000	30,000
1.ब	पानी की कीमत 4.00 KLD	-	1,00,000

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट आदि का - लंबाई) विकासx चौड़ाई (Rs. 9 / 00मी के साथ 670मीपक्का एप्रोच रोड निर्माण	6,07,000	40,000
3.	वृक्षारोपण	4,21,500	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानों वर्ष के लिए/63,000 X 2	-	1,26,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक) 50-30/वाटर कूलरश्रमिक @ रु10 ./,000कूलरऔर (वर्ष रखरखाव के लिए/2000 .रु	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @15000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।	30,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष) में दो बार प्रति श्रमिक500 रु(-	27,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @ 25000 X 2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	4,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	40,500
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	10,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	9,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 4 सोलर लाइट) वेब साइट विकास एवं रखरखाव (@ रु . 5,000खननवेब कैमरा (, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4 (50,000	5,000

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

) खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड@ (/2000 आदि		
14.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण न्यूनतम)@ रुपये 500 (श्रम/	-	13,500
15	खदान के परिधि में 490की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी)@ रु.5/00मीटर की जाएगी(2,45,000	15,000
16	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 480 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 4) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 4) एवं मजदूरी	35,000	10,000
17	पट्टा क्षेत्र में मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे हुआ 7.50 भाग का पुनःभरण किया जायेगा लंबाई)x चौड़ाई (Rs. 600/ मी के साथ 200मीटर	1,20,000	-
18	कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए निकट ग्राम में शासकीयविद्यालयमेंसोलरपैनलकीइंस्टॉलेशनकरायाजाएगा	50,000	-
	कुल योग	17,53,500	5,04,000

9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम ततारपुर में भासकीय विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु पालक शिक्षक संग में राशि जमा कराई जायेगी ।	1,80,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी(7.50 मीटर बेरियर जोनमें 250 मीटरकी लम्बाई पर 3 लाइनो मेंवृक्षारोपण किया जायेगा)	सीताफल, नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सुआदि।	200

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (670 मीटर) के दोनों ओर 2 लाइनों में 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	670
3	आस पास के ग्रामीण किसानों को पौधे वितरित किये जायेंगे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	930
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. Case No. P2/788/24 Shri Chandresh Sorthiya, Director, VELJI RATNA SORATHIA INFRA PRIVATE LIMITED, Badodra Gujrat Halmukam Village Laloi Tehsil Berasia District Bhopal (MP). Prior Environment Clearance for Stone in an area of 0.836 ha. (Stone – 4560 m³/Year) (Khasra No. 183/1/1), Vill. Samnapurkalan, Tehsil – Gauharganj, Distt. Raisen (M.P.) [MIN/463856/2024] (TOR)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Chandresh Sorthiya, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार AGS Environmental Services Pvt. Ltd. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Chandresh Sorthiya, Director, VELJI RATNA SORATHIA INFRA PRIVATE LIMITED, Badodra Gujrat Halmukam Village Laloi Tehsil Berasia District Bhopal (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	183/1/1 (निजी भूमि)	0.836 hectare.
स्थल	Vill. Samnapurkalan, Tehsil – Gauharganj, Distt. Raisen (M.P.)	

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 544 दिनांक 10/2023 के द्वारा स्वीकृत । श्रीमती कल्पना चौकसे से श्री VELJI RATNA SORATHIA INFRA PRIVATE LIMITED, Badodra Gujrat Halmukam Village Laloi Tehsil Berasia District Bhopal (MP) के नाम अंतरण किया गया है)
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रायसेन के पत्र क्रमांक 223 दिनांक 12/01/2018 के द्वारा पत्थर-5055 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट (डिया से सिया)
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone - 4560 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone - 4560 m3/Year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2172 दिनांक 02/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 10 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 28.827 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2172 दिनांक 02/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2172 दिनांक 02/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत समनापुरकंला जिला रायसेन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 18/7/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण रायसेन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-13 के सरल क्रमांक-47 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

10. Case No. 9360/22 Shri Abul Vakar, Owner, 205, Karodiya Chopati, Tehsil - Mhow, Dist. Indore, MP – 453441. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.0 ha. (Expansion from Stone 33,756 to 60000 Cum per annum) (Khasra No. 1021/1), Village - Kheda, Tehsil - Dhar, Dist. Dhar (MP) [MIN/462530/2024] (EIA)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक अबुल वकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	अबुल वकार पिता अब्दूल कलाम, निवासी - जी. 9, झूमेरा कॉम्प्लेक्स, नियर होल मजार, एबी रोड, वि वास बजारी पोस्ट भाटखेडी, तहसील महुँ, जिला इन्दौर म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1021/1 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 हेक्टेयर भासकीय भूमि
स्थल	ग्राम खैड़ा, तहसील धार, जिला धार
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक - 9113/उ.प./न.क.-49/17/खनिज/2017-18, दिनांक 15.12.2017 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर प्रकरण की स्थिति	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है। नया प्रोजेक्ट।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर - 60,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

अन्य खदानें	क्रमांक 1327/खनिज/2022-23 दिनांक 30.09.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 29.00 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1327/खनिज/2022-23 दिनांक 30.09.2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1327/खनिज/2022-23 दिनांक 30.09.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पीथमपुर, जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 342/पंचा 67, दिनांक 12.01.2007 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • खदान क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में उत्तर दिशा में कुछ भाग पहले से खुदा हुआ है जिसको सरफेस मैप में दर्शाया गया है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 19 के सरल क्रमांक-31 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	27/9/ 2024 को जनसुनवाई हुई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 60,000 घनमीटर/वर्ष।

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित मार्गन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्पिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	75,000	30,000
1.ब	पानी की कीमत 3.00 KLD	-	1,00,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टी का आदि प्वाइंट-लंबाई) विकासx चौड़ाई (Rs. 9 / 00मी के साथ 600 मीपक्का एप्रोच रोड निर्माण	5,40,000	40,000
3.	वृक्षारोपण	4,27,500	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानोंलिए के वर्ष/	-	1,26,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक) 50-30/कूलर वाटरश्रमिक @ रु10 ., /000कूलर और (लिए। के रखरखाव वर्ष/2000 . रु	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @15000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।	30,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष) श्रमिक प्रति बार दो में500 रु(-	22,000

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @ 25000 X 2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	4,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	33,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	10,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 रु और प्रणाली / 5000 . वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	4,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 4 सोलर लाइट) रखरखाव एवं विकास साइट वेब (@ रु . 5,000खननकैमरा वेब (, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4 (द्वार प्रवेश के खदानपर डिस्प्ले बोर्ड)@ (/2000आदि	50,000	5,000
14.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण न्यूनतम)@ रुपये 500 (श्रम/	-	11,000
15.	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 530 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 4) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 4) एवं मजदूरी	35,000	10,000
16.	पट्टा क्षेत्र में हुआ खुदे के क्षेत्र प्रतिबंधित के मीटर 7.50 लंबाई) जायेगा किया पुनःभरण का भागx चौड़ाई (Rs. 600/ मी के साथ 290 मीटर	1,74,000	-
17.	कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए निकट ग्राम में शासकीय विद्यालयऔर पंचायत भवन में सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन कराया जाएगा	3,00,000	-
18.	विन्ड ब्रेकिंग वाल (640मीटर)लगाई जाएगी)@ रु. 1000(मीटर/	6,40,000	20,000
	कुल योग	24,27,500	4,89,000

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम खेडा में शासकीय विद्यालय में अधो संरचना विकास हेतु पालक शिक्षक संग में राशि जमा कराई जायेगी ।	2,00,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधोंकाप्रस्तावितस्थान	पौधोंकेनाम	मात्रा
1	हरित पट्टी(7.50 मीटर बेरियर ज़ोनमें 300 मीटरकी लम्बाई पर 3 लाइनो मेंवृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी,सिस्सुआदि।	250
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (600 मीटर) के दोनों ओर 2 लाइनो में4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	600
3	आस पास के ग्रामीण किसानो को पौधे वितरित किये जायेंगे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	1550

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

11. Case No. P2/809/24 Shri PREM RATHOR, LEESSEE, Ward no. 01, Uset Ghat Road, Nala No. 03, Kanya Shala Road, Ambah Morena. Prior Environment Clearance for Gitti and M-Sand in an area of 1.00 ha. (Gitti – 9690 m³/Year) (Khasra No. 795), Village - Garbada, Tehsil - Badaud, District- Agar Malwa, (M.P.) [MIN/467530/2024] (B2).

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **24/05/2024** को परियोजना प्रस्तावक **प्रेम नारायण राठौर पिता श्री मानसिंह राठौर** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनउ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	प्रेम नारायण राठौर पिता श्री मानसिंह राठौर निवासी- उसेत घाट रोड जिला मुरैना (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	795, (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 हे.
स्थल	ग्राम गरबड़ा, तहसील बड़ौद, जिला आगर मालवा (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा मध्यप्रदेश के अंतरण आदेश पत्र क्रमांक 659/खनिज/2023, दिनांक 17/08/2023 के द्वारा स्वीकृत । 14/06/2017 से 13/06/2027	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया कार्यालय, जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, (डिया) जिला आगर मालवा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 05/डिया/2018, दिनांक 21/02/2018 के द्वारा पत्थर-9690 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-9690घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 9690 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 34 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 34 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क, अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 34 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान	

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

	घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गरबड़ाजिला आगर मालवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 43 दिनांक 20/03/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में बीस पेड़ है कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— तालाब 330 मी. पर हैं ।
	दक्षिण दिशा—आबादी 390 मी. व कच्चा रास्ता 287 मी. पर हैं ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक-44 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	40% पूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बीस पेड़ लगे है
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया किखदान क्षेत्र में खनन कार्य सिर्फ 3 मी. तक ही हुआ है अतः पिट्स में बैचेस अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया किखदान क्षेत्र में 250 नये पौधे भी लगाये गये है। नर्सरी का बिल प्रस्तुत किये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – 9690मी.³
2. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
5. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
- 7- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
8. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
9. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
10. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 11,50,000/- एवं रिकरिंग राशि रु. 3,14,500/- प्रति वर्ष ।

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000
1 (b)	Cost of water of 3000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	1,35,000
2	Garland Drain is proposed(405m x 2m x 1.5m) And Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	80,000	10,000
3	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 405	2,02,500	5,000

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

4	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 800 x Rs.200	2,25,000	20,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (300 X Rs. 50)		
5	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 500m x 5m) @500/sqm	2,50,000	10,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 75,000 for two locations/year	Nil	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-40 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	Already done	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece.	Already done	3000
9	Occupational Medical Check-up for 15workers @500/worker (twice in a year)	Nil	15,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	50,000	2000
11	PPEs for other mining operations for 15worker@ Rs. 1500/worker	22,500	5000
12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	Already done	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.	10,000	2,000
14	Half yearly PUC certification for 3 trucks @1000/truck	-	3,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	50,000	5000
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainenece (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5,000
17	Construction of wind breaking wall & other safety and pollution control measures for dust particles due to crusher	1,50,000	15,000
18	For reduction of Carbon emission - LED bulb distribution	30,000	Nil
19	VT Trainings for 15 workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	-	7,500
20	Barrier zone backfilling / restoration	30,000	
	Total	11,50,000	3,14,000

11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
---------------------------------------	---------------

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

शासकीय प्राथमिक स्कूल गरबड़ा में 1 कम्प्यूटर, प्रिन्टर, प्रिन्टर टेबल के साथ एवं दो अलमारी उपरोक्त राशि रू. 0.60 लाख शिक्षक पालक संघ में भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	60,000 / -
---	------------

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.सं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, चिरोल, सिस्सू, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, अमलतास, पुत्रनजीवा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	मुनगा, इमली, आम, कुसुम, नीबू, कटहल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	300

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंद एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभावित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. **Case No. P2/818/24 NEELAM YADAV, Lease Owner, VILLAGE- MANGELI, NIGRI, JABALPUR, MADHYA PRADESH. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. पत्थर-6,970 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम-1,164 घनमीटर/वर्ष, (Khasra No. 24 Part) Village- Manegaon, Tehsil- Jabalpur, Dist- Jabalpur (M.P.). [MIN/467649/2024 (DEIAA- Re-appraisal)].TOR.**

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री सतवंत सिंह, मेसर्स एम्बिएंटल ग्लोबल प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. (ऑनलाईन) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	NEELAM YADAV, Lease Owner, VILLAGE- MANGELI, NIGRI, JABALPUR, MADHYA PRADESH.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	24 Part(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Manegaon, Tehsil- Jabalpur, Dist- Jabalpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 245 दिनांक 20/02/15 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	फाम-2 अनुसार Blasting is not Proposed.	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA- Re-appraisal.	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 103 दिनांक 11/05/17 के द्वारा पत्थर-7308 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम-1708 वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-6,970 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम-1,164 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-6,970 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम-1,164 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 910 दिनांक 25/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 14 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 30.85 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 910 दिनांक 25/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 910 दिनांक 25/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मंगोली जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-26 दिनांक 15/07/14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-44 के सरल क्रमांक-80 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है ।

13. Case No. /23 Shri MORADHVAJ MISRA, M/s Shri Marutaye Balaji Steels Ltd., 1, Hospital Street, 2nd Floor, Satyam Market, PO Princep Street, Kolkata – 700072. Prior Environment Clearance for Limestone Mine in an area of 107.785 ha. (Limestone - 0.15 MTPA to 0.70 MTPA) (Khasra No. 321/1, 321/2, 322, 324, 326,331, 332, 328 & other) Village Bathia Kala, Tehsil Raghu Raj Nagar District Satna (M.P.) [MIN/465671/2024] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री पवन चौडिया अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, M/s. Creative Enviro Services , Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri MORADHVAJ MISRA, M/s Shri Marutaye Balaji Steels Ltd., 1, Hospital Street, 2nd Floor, Satyam Market, PO Princep Street, Kolkata - 700072	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	321/1, 321/2, 322, 324, 326,331, 332, 328& other (निजी –नॉन फॉरेस्ट लैंड भू-स्वामी की	107.785 hectare.

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

(सरकारी / निजी)	सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त)	
स्थल	Village Bathia Kala, Tehsil Raghu Raj Nagar District Satna (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय-भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-3-21/2002/12/1 (पी-4) दिनांक 19/09/09 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
टॉर	सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 441 दिनांक 18/05/23 के द्वारा Limestone - 0.15 MTPA to 0.70 MTPA के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
प्रकरण की स्थिति	क्षमता विस्तार ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Limestone - 0.15 MTPA to 0.70 MTPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Limestone - 0.15 MTPA to 0.70 MTPA घनमीटर / वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 507 दिनांक 16/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 सदृश अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 1018.787 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 507 दिनांक 16/03/23 अनुसार जमोड़ी फॉरेस्ट रिजर्व 5.1 कि.मी. दूरी पर है । (पर्यावरणीय अनुमति दिनांक 09/02/11 के अनुसार) एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 507 दिनांक 16/03/23 अनुसार 100 मीटर की दूरी पर रेल्वे लाईन, ग्रामी रास्ता लीज क्षेत्र की कुछ भाग में है एवं 50 मीटर दूरी पर बरसाती नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बढियाकलां जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-27 दिनांक 26/01/14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रस्तावित प्रोजेक्ट मुख्य खनिज है, अतः जिला सर्वेक्षण लागू नहीं है ।	
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक / पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई ।	

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

During presentation PP submitted that:

- The subject lease is operation lease and proposed for capacity expansion from 0.15 mTPA to 0.70 MTPA of lime stone mining .
- The proposed project is an opencast and fully mechanized mining project, where mining of lime stone will be done through drilling, blasting/ rock breaker , Jack hamer etc .
- The Mining Lease was granted vide order no. F-3/21/2002/12/2 dated in the name of Shri Om Prakash Bansal over an area of 266.33 Acres (107.785 Ha.) and executed on 22.07.2004 and same was registered on 29.09.2004 for 30 years from 29.09.2004 to 28.09.2034. Subsequently lease has been transferred to M/s Shri Marutaye Balaji Steel Ltd., Kolkata (WB.) vide transferred order no. F-3/21/2002/12/1(P-4) dated 19.09.2008 and transfer deed executed on 28.12.2008. Since the Govt. of India amended Mines and Mineral Development Act 1957 now called MMRD 2015 under section 8 A (5), the mining period is now valid up to 50 years from 29.09.2004 to 28.09.2054.
- PP has already been obtained environment clearance from MoEF&CC on 09.02.2011 vide no Vide No. J-11015/208/2009-IA-II(M) dated 09.02.2011 by MoEF&CC New Delhi for existing capacity of 0.15 MTPA and consent to operate from MPPCB which is valid up to 30.10.2024. Although EC was granted for 0.15 MTPA ROM production, the mine started on November 2021 .
- Certified compliance report has been issued by MoEf&CC vide no 3-3/201/ (Env) dated 14.06.2023 which is found satisfactory and no non compliance has been reported by the ministry

During the presentation, it has been observed that the lease is in three part and working is being done at upper north western part. A railway line has been observed at 100 mtrs away from the lease for which PP has produced NOC of Railway department of adjacent mine for where the mine is allowed to do mining 100 mtrs from the railway line. However as per MMDR act, PP need to leave 45 mtrs set back from the railway line . Further proximity of habitation is observed near to the second part of lease area which is located in the mid of the lease area. This portion will be non minable area and no mining shall be carried out near to the habitation . PP also submitted that out of 107.85 hact , total minable area will be 62 hact only . Further PP will use rock breaker for mining wherever required and the same has been mentioned

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

in mining plan also. Blast vibration study were also done and PPV value has been found as 2-3 MM/ second which much below the safe limit of 10 MM/sec.

PP further submitted that 05 garland drain and one settling tank has been provided for the existing operation and further 03 garland drain and one more settling tank shall be provided for expanded capacity . PP has carried out socio economic activities since opening of mine i.e. 2021 and incurred Rs 3,10,000 till date. Presently 1.0 ha. of land is covered under green belt with 1000 number of trees. **Old trees in 75 number are located within the lease area which will not be cut down.**

As post land use plan, 22 hact of the area will be backfilled and 40 hact of area shall be converted into water body. At the same time 27 hact area will be developed as green belt with 54400 number plants.

The presentation and other document place before the committee and was found satisfactory and acceptable to the committee. The EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to **recommend the case for grant of prior EC for capacity expansion in excavation in Bhatiakala Limestone Deposit From 0.15 MTPA of Limestone to 0.70 MTPA of Limestone) (Area: 107.785 ha. (Khasra No. 681/1,681/2,681/3,681/682,683,684,685,686,687/1/1,687/1/2,687/1/3,687/2/1,687/2/2,687/3,687/4/1,687/4/2,688/1/1/1,688/1/1/2,688/1/1/3,688/1/2,688/1/3/1,688/1/3/2,688/2/1/1,688/2/1/2,688/2/1/3,688/2/2/1,688/2/2/2,688/2/3/2,688/2/4/1,688/2/4/2,689,690/1/1/1,,690/1/1/2,690/1/2,690/2,691,692,693/1,693/2,694/1/1,694/1/3,694/2,695,696,697/1,697/2,697/3,698/1,698/2,698/3,698/4,699/1,699/2,699/3,99/4,700/1,700/2,701/1,701/2,702,703,704/1,704/2,705/1/1,705/1/2,705/2/1/1,705/2/1/2/1,705/2/1/2/2,705/2/1/2/3,705/2/2,706/1,706/2,707,708,709/1, 709/2.at Village - Bhatiakala Tehsil – Raghuraj Nagar , Dist. Satna (MP).** Subject to the following special conditions:

(A) PRE-MINING PHASE

1. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars.
2. Necessary consents for proposed activity shall be obtained from MPPCB and the air / water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

3. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
4. PP will also carry out fencing all around the lease area.
5. If any tree uprooting is proposed necessary permission from the competent authority should be obtained for the same.
6. For dust suppression, regular sprinkling of water should be undertaken.
7. Haul road shall be compacted on regular interval and transport road will be made pucca road and shall be constructed prior to operation of mine.
8. PP will obtain other necessary clearances/NOC from respective authorities.
9. Reject stone shall be sold only after approval of the State Government as per the prevailing rules & regulations.

(B) MINING OPERATIONAL PHASE

10. Muffle with NONEL system for Blasting shall be adopted for proposed mining and no secondary blasting shall be done and rock breaker will be used instead secondary blasting only.
11. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
12. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be preferred in comparison of solid cartridge.
13. No explosive will be stored at the mine site.
14. No dump shall be stacked outside the lease area.
15. Mechanized sprinklers shall be provided in mine.
16. Curtaining of site shall be done through thick plantation all around the boundaries of all part of lease. The proposed plantation scheme should be carried out along with the mining and PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. Initially, dense plantation shall be developed along the site boundary (in three rows) to provide additional protection.
17. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. As proposed in the landscape plan & EMP a minimum of 10850 trees shall be planted on barrier zone, backfilled area , and along the road (360 No of trees) also.

18. Transportation of material shall be done in covered vehicles.
19. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area.
20. The OB shall be reutilized for maintenance of road and for back filling . PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
21. Garland drain and bund along with settling tank will be maintained in the boundary side and around dump to prevent siltation of low lying areas and in rush of water into the mine. Apart from existing drain and settling tank , four more drain is proposed having dimension of 489X 1.0 X 1.0, 363X 1.0 X 1.0, 823X 1.0 X 1.0, 547X 1.0 X 1.0 and one settling tank having size of 1600 sq mtrsX 6.0mDare proposed
22. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
23. For dust suppression mechanized sprinkler shall be provided while on transport road for dust suppression tankers shall be provided.
24. The existing and proposed land use plan of the mine is as follows:

Items	Existing	SOM Period	Conceptual Period
Total lease area	107.785 ha		
Ultimate depth of mining	308.1MsL	301m AMSL	285m AMSL
Ultimate pit slope		45 degree	45 degree
Area under dumps (MW+Soil)	0.90ha	4.88ha	Nil
Area under pits	2.10 ha	5.70ha	62.00ha

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

Infrastructure & Road	0.1697ha	0.32ha	Nil
Mineral storage	0.57ha	0.57ha	Nil
Plantation	1.00ha	2.00ha	8.20ha
Un-worked area	103.9453 ha	94.315ha	37.585ha
Total	107.785ha	107.785ha	107.785ha
Water body	1.00ha	2.00ha	40.00ha
Area to be backfilled	Nil	Nil	22.00ha
Plantation			
Un-worked area	1.00ha (2000no.)	2.00ha (4000no.)	8.20ha (16400no.)
Backfilled area	Nil	Nil	12.00ha (24000no.)
Bench area	Nil	Nil	7.00ha (14000no.)
Total area for plantation	1.00ha (2000no.)	2.00ha (4000no.)	27.20ha (54400No.)
Grass land to be developed	Nil	Nil	15.00ha

25. Appropriate and submitted activities shall be taken up for social up-liftment of the Region. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat. Further any need base and appropriate activity may be taken up in coordination with local panchayat.
26. PP will take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
27. The commitments made in the public hearing are to be fulfilled by the PP.
28. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
29. PPE's such as helmet, ear muffs etc should be provide to the workers during mining operations.

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

(C) ENTIRE LIFE OF THE PROJECT

30. In the proposed EMP, capital cost is Rs. 106.68 Lakh is proposed and Rs.47.35 Lakh /year as recurring expenses.
31. As per office memorandum vide no 22-65/2017/IA-III dated 30.09.2020, no financial budget under CER is being proposed. The commitment to address the concern raised during the public hearing issues with physical target shall be complied as below :

SN	Plan	Activity	Budgetary provisions (Rs in lakh)
1	Skill development	20youth thought ITI, Satna	Rs 2.00
2	Adaptation of aganwadi center, Bhatiakala	Infrastructure development	Rs. 1.50
3	Infrastructure development of Bathia kala school & gram panchayat	Solar system installation	Rs 3.00
4	Need base work	Need base activities will be done as per consultation with gram panchayat and collector, Satna	Rs 3.00
	Total		Rs. 9.50 Lakh

32. The environment policy of the company should be framed as per MoEF&CC guidelines and same should be implemented through monitoring cell. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
33. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
34. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।

- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. Case No. P2/786/24 JEEVAN YADAV, Proprietor of MS Bhumi Mines, R/o- Palnagar Dewas, District-Dewas, M.P. Prior Environment Clearance for Gitti and M-Sand in an area of 4.00 ha. Stone- 25,000 m³/Year, OB-18000 m³/Year) (Khasra No. 860), Village- Phavda, Tehsil- Sonkatch, and District- Dewas (M.P.) [MIN/463581/2024] -TOR.

प्रकरण में आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री जीवन यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	JEEVAN YADAV, Proprietor of MS Bhumi Mines, R/o- Palnagar Dewas, District-Dewas, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	860 (Govt. Land)	4.00 hectare.
स्थल	Village- Phavda, Tehsil- Sonkatch, and District- Dewas (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 2159 दिनांक 28/9/2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया देवास के पत्र क्रमांक 141 दिनांक 17/6/2017 के द्वारा पत्थर-25050 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट (डिया से सिया)	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone- 25,000 m ³ /Year, OB-18000	

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

	m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone- 25,000 m3/Year , OB-18000 m3/Year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2585 दिनांक 22/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 8.750 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2583 दिनांक 22/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2585 दिनांक 22/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत फावड़ा जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 01/5/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2585 दिनांक 22/12/2023 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

PP submitted that with reference to the aforementioned subject, we wish to bring to your attention that, in accordance with clause 09 of the policy decision made by the respected MP-SEIAA during the 826th meeting held on 23-01-2024, our case is to be considered as a new case.

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

15. Case No. P2/810/24 Shri Karan Singh Thakur, Director, PRATHVI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED R/o- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Basalt Stone and Murrum in an area of 3.90 ha. (Basalt Stone – 90,000 m³/Year and Murrum – 12000 m³/Year) (Khasra No. 3), Village Jamanya Jagir, Tehsil Mhow, District Indore (M.P.). [MIN/466613/2024] TOR.

प्रकरण में आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री करण सिंह ठाकुर, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Karan Singh Thakur, Director, PRATHVI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED R/o- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.90 hectare.
स्थल	Village Jamanya Jagir, Tehsil Mhow, District Indore (M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिक तथा खनिकर्म भोपाल के पत्र क्रमांक .2681 दिनांक 29/2/24 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक 1409 दिनांक 27/10/2016 के द्वारा Basalt Stone – 96,498 m ³ /Year हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट (डिया से सिया)	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Basalt Stone – 90,000 m ³ /Year and Murrum – 12000 m ³ /Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Basalt Stone – 90,000 m ³ /Year and Murrum – 12000 m ³ /Year	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 462 दिनांक 11/3/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 462 दिनांक 11/3/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 462 दिनांक 11/3/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पांजरिया जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 25/4/2011 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 628 दिनांक 03/4/2024 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा को अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा

PP submitted that with reference to the aforementioned subject, we wish to bring to your attention that, in accordance with clause 09 of the policy decision made by the respected MP-SEIAA during the 826th meeting held on 23-01-2024, our case is to be considered as a new case.

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

16. Case No. P2/806/24 KIRTI THAKUR, Owner, Village-Amaboh Tehsil Chourai District Chhindwara (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (11,400 cum per annum) (Khasra No. 12, 14/3-4, 15, 29/1tha, 16) Village-Amaboh Tehsil Chourai District Chhindwara (M.P.). [MIN/466052/2024 (DEIAA- Re-appraisal)] (B2).

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **KIRTI THAKUR, Online** एवं उनके एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अंकुर शर्मा (ऑनलाईन). मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	KIRTI THAKUR, Owner, Village-Amaboh Tehsil Chourai District Chhindwara (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	12, 14/3-4, 15, 29/1tha, 16(निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 hectare.
स्थल	Village-Amaboh Tehsil Chourai District Chhindwara (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 544 दिनांक 23/03/17 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
क़शर की स्थिति	क़शर लीज एरिया के बाहर प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	DEIAA- Re-appraisal.
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 886 दिनांक 31/05/16 के द्वारा पत्थर-11,400 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-11,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-11,400 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 384 दिनांक 13/03/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 384 दिनांक 13/03/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 384 दिनांक 13/03/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

	निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-7 दिनांक 15/08/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existed - 05 Tree Felling - No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- पक्का रोड़ लगभग 367 मीटर पर स्थित है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-34 के सरल क्रमांक-77 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग पूर्ण पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन खुदा हुआ है ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	नहीं पायी गई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बेंचैस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 100 पौधे लीज एरिया के बाहर रोपण किये गये है ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि खदान के डीजीपीएस कार्डिनेट पर आधारित केएमएल ईमेज प्रस्तुत की गई है। समिति ने इस संबंध में

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

जिले के खनिज अधिकारी से डीजीपीएस कार्डिनेट सत्यापित कराकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

17. Case No. P2/821/24 Shri Nitish Chaturvedi, Partner & Authorized Signatory, M/s KHAJURAHO STONES (INDIA) PRIVATE LIMITED, 6 Km Sagar road, Dhadari, Chhatarpur, Madhya Pradesh 471001. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.15 ha. (Stone-76,400 TPA, Boulder-76,400 TPA and M- Sand-2,29,320 TPA) (Khasra No. 741) Village – Ghoora, Tehsil - Rajnagar, District- Chhatarpur (M.P.). [MIN/467561/2024 (DEIAA- Re-appraisal)] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय कुमार सिंह, मेसर्स अप्लिंका सलूशन एण्ड टेक्नोलॉजी प्रा.लि., नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Nitish Chaturvedi, Partner & Authorized Signatory, M/s KHAJURAHO STONES (INDIA) PRIVATE LIMITED, 6 Km Sagar road, Dhadari, Chhatarpur, Madhya Pradesh 471001	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	741 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.15 hectare.
स्थल	Village – Ghoora, Tehsil - Rajnagar, District- Chhatarpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 2401 दिनांक 18/09/23 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA-Re-appraisal.	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छतरपुर के पत्र क्रमांक 1833 दिनांक 02/05/18 के द्वारा पत्थर-2,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता Stone, Boulder and M-Sand-3,82,200 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Stone-76,400 TPA, Boulder-76,400 TPA and M- Sand-2,29,320 TPA है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2838 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 19.80 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2838 दिनांक 13/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2838 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत घूरा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-19 दिनांक 05/08/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-29 के सरल क्रमांक-6 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है ।

18. Case No. P2/819/24 Shri Gourav Rainwal, Partner, M/s MAA VINDHAVASHNI STONE CRUSHER, R/o- 604 Satyam Residency, City Centre Gwalior, District- Gwalior (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.280 ha. (20,612 cum per annum) (Khasra No. 27/2, 33/1/4) Village -Harraha, Tehsil- Mauganj District- Mauganj (M.P.). [MIN/467148/2024] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का	Shri Gourav Rainwal, Partner, M/s MAA VINDHAVASHNI STONE

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

नाम व पता	CRUSHER, R/o- 604 Satyam Residency, City Centre Gwalior, District-Gwalior (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	27/2, 33/1/4(निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू-स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त)	1.280 hectare.
स्थल	Village -Harraha, Tehsil- Mauganj District- Mauganj (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 464 दिनांक 12/01/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20,612घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20,612 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2842 दिनांक 11/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.895 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2842 दिनांक 11/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2842 दिनांक 11/08/23 अनुसार 500 मीटर में शैक्षणिक संस्थान, 120 मीटर की दूरी पर प्राथमिक शाला एवं 300 मीटर की दूरी आबादी स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हर्रहा जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-15 दिनांक 26/01/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 601 दिनांक 12/04/24 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति	

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

19. Case No. P2/820/24 INDU AHLUWALIA, proprietor, 267K, Ward No. 9, Sindhi Camp, Bandhavgarh Colony. Raghurajnar, Satna (M.P.) Prior Environment Clearance for Limestone Mine in an area of 23.86 ha. Limestone&60,000 TPA & OB as mine waste-1,78,864 TPA) (Khasra No. 683, 687/1, 687/2, 710/1/1, 710/1/2, 710/2, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 719, 724/1, 724/2, 725, 726, 727, 728, 729/1, 729/2, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 737/1, 737/2, 738, 740/1/1, 740/1/2, 740/1/2/k, 740/2, 961/1) Village- Bhatia Tehsil - Maihar District - Satna (M.P.). [MIN/468346/2024] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावकश्री नीरज वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्विंटिव इनवायरो सर्विससे, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	INDU AHLUWALIA, proprietor, 267K, Ward No. 9, Sindhi Camp, Bandhavgarh Colony. Raghurajnar, Satna (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	683, 687/1, 687/2, 710/1/1, 710/1/2, 710/2, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 719, 724/1, 724/2, 725, 726, 727, 728, 729/1, 729/2, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 737/1, 737/2, 738, 740/1/1, 740/1/2, 740/1/2/k, 740/2, 961/1(निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	23.86 hectare.
स्थल	Village- Bhatia Tehsil - Maihar District - Satna (M.P.).	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय-भोपाल के पत्र क्रमांक 548 दिनांक 08/02/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Limestone-60,0000 TPA & OB as mine waste-178864 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Limestone-60,0000 TPA & OB as mine waste-1,78,864 TPA है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 311 दिनांक 09/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 78.707 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 311 दिनांक 09/02/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 311 दिनांक 09/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव अपलोड नहीं है, अतः परियोजना प्रस्तावक ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा में पक्का रोड़ है एवं उत्तर-पश्चिम दिशा में आबादी है अतएवं ई.आई.ए. रिपोर्ट में संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये प्रोटेक्शन प्लान प्रस्तुत करेंगे।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	प्रस्तावित खदान मेजर मिनरल होने के कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू नहीं है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

20. Case No. P2/821/24 Navya Jindal, Proprietor, M/s. Jindal Earth Mines, situed near village Pingleshwar Tehsil and District Ujjain. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.80 ha. (Stone – 81,000 m3/Year) (Khasra No. 343/1, 343/2), Near Village Pingleshwar, Tehsil & Dist. Ujjain [MIN/467772/2024] (TOR)

परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 24/05/2024 के माध्यम से समिति को सूचित किया है, कि प्रकरण क्रमांक 10005/2023को सेक की 660वीं बैठक दिनांक 14/07/2023 के एजेण्डा के सरल क्रमांक 14 के द्वारा टॉर की अनुशंसा की जा चुकी है। सिया द्वारा उक्त प्रोजेक्ट को सेक की अनुशंसा के आधार पर टॉर (पत्र क्रमांक 1108/सिया/2023 दिनांक 10/08/2023) के माध्यम से जारी किया जा चुका है,। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रकरण वापिस लेना चाहता हूँ ।

परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य कर समिति ने प्रकरण को नस्तीबद्ध करने की अनुशंसा की जाती है ।

21. Case No. 6233/2020 Shri SANTOSH AGRAWAL, Proprietor, Jai Shree Shyam Minerals, Infront Of Police Station Bamhni Banjar, Tehsil Bichhiya District – Mandla (M.P.) Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 4.48 ha.) (50000 TPA to 154814 TPA) (Khasra No. 51,52,53,55/1) Village Bhawartal Tehsil Bichhiya District Mandla (M.P.). [MIN/466968/2024] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष अग्रवाल, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स AGS Environmental Services Pvt. Ltd., Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri SANTOSH AGRAWAL, Proprietor, Jai Shree Shyam Minerals, Infront Of Police Station Bamhni Banjar, Tehsil Bichhiya District – Mandla (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	51,52,53,55/1 (निजी/सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड निजी भूमि के भू-स्वामी परियोजना प्रस्तावक स्वयं)	4.48 hectare.
स्थल	Village Bhawartal Tehsil Bichhiya District Mandla (M.P.).	
लीज स्वीकृति	लीज डीड दिनांक 16/03/2017.	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण	डिया मण्डला के पत्र क्रमांक 55 दिनांक 17/08/16 के द्वारा	

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

(यदि लागू हो)	डोलोमाईट-50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	सेक की 376वीं बैठक दिनांक 01/07/19 को अनुशंसित, सेक के पत्र क्रमांक 516 दिनांक 08/08/16 के द्वारा Dolomite- 50000 TPA to 154814 TPAके लिए टॉर जारी किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 08/08/23 को समाप्त हो गई है। सिया की 843वीं बैठक दिनांक 05/04/24 को टॉर वैधता एक वर्ष गई है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Dolomite- 50000 TPA to 154814 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Dolomite- 50000 TPA to 154814 TPA है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1398 दिनांक 22/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 24.55 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1398 दिनांक 22/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। वन कक्ष क्रमांक 757 से आवेदित क्षेत्र की दूरी 02.60 मीटर है। खनि रियायत स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव, वन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 18/09/09 में समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि उपलब्ध क्षेत्र 4.78 हे. क्षेत्र पर खनिपट्टा स्वीकृत किया जावे। साथ ही यह भी अनुशंसा की गई है कि उक्त 4.78 हे. की वह सीमा जो वन क्षेत्र की ओर है, उस पर पट्टाधारी स्वयं के व्यय से चैनलिंग-फैनसिंग खनन कार्य करने से पूर्व लगायेगा।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1398 दिनांक 22/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत काताजर जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 30/10/14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

	पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा की ओर में बेरियर जोन में लगभग 80 पेड़ लगे हुये हैं एवं इनमें से कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा— मानव रहवासी क्षेत्र लगभग 145 मीटर की दूरी पर स्थित है। एवं लगभग 20 मीटर कि देरी पर बरसाती नाला है जिसके पास परियोजना प्रस्तावक द्वारा पेड़ लगाए गए है। जिससे 80 मीटर का सेटबेक दिया गया है। एवं 115 मीटर पर खदान के मजदूरों के लिए अस्थायी रेस्ट सेल्टर है जिससे 85 मीटर का सेटबेक दिया गया है। सेटबेक एरिया छोडने के बाद माईनेबल एरिया 2.231 हे. एवं नो माईनिंग एरिया 1.40 हेक्टेयर है। पश्चिम दिशा – नदी लगभग 435 मीटर की दूरी पर स्थित हैं।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक-10..... पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक 17/01/2023 को संपन्न 06 आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 80 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा की ओर में बेरियर जोन में लगभग 80 पेड़ लगे हुये हैं
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 60 प्रतिशत पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बेंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 80 पेड़ लगाये गये एवं 500 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन -1,54,814 टन/वर्ष।
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 16.03. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.30 लाख प्रति वर्ष।
5. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
7. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
8. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
9. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
10. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

1. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.			
1(b)	Water requirement- 5.4 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.	-		2,43,000
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (900m in length × 6m in width)	1,00,000		50,000
PLANTATION SCHEME				
3.	A) Plantation within lease boundary. @ Rs. 200/plant.	(400X200= ₹ 80,000)	8,44,000	5,000
	B) Plantation in Setback area	1000 x 200 = 2,00,000		
	c) Plants to be distributed in nearby villagers: @ Rs. 100/plant.	(4,080X100 = ₹ 2,04,000)		
	d) Plantation along the Approach Road @ Rs.400/plant (including tree guard)	(900X 400 = ₹ 3,60,000)		
4	Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 1150 m Long) Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. Settling Tank is 1 of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) .	Already constructed		50,000
5	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (9 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--		9,000
6	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)			
	Pollution Monitoring		30,000	
	i) Air pollution		30,000	
	ii) Water pollution		20,000	
	iii) Soil Pollution		20,000	
7	Chainlink fencing (1100 m) @200 rupees/meter.	2,20,000		5,000
8	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/10 labour @ Rs. 10,000/cooler).	20,000		5,000
9	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000		3,000
10	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000		1,000
11	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 17 Labors -17 × 500 × 2)	-		17,000
12	First Aid Box & Fire fighting equipment's @20000 × 1 & Rs.	20,000		2,000

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

	2000/year for Maintenance.		
13	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 17workers - 17× 1500)	25,500	8,000
14	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
15	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	35,000	10,000
17	Crushse Equipments for Dust control	1,00,000	15000
18	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (1436 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	1,43,600	-
	TOTAL	18,03,100/-	4,30,000/-

CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. **0.60** लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	60,000/-

Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **6380** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	400
2	सैटबैक जेन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	1000
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी	900

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

	ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	4080
योग			6380
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृती जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

22. Case No. P2/792/24 Shri Prahlad Rai, Director, DONYPOLO UDYOG LIMITED, R/o- Shamgarh, Tehsil- Shamgarh, District- Mandsaur, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.640 ha. (Stone – 9500 m³/Year) (Khasra No. 151), Village Makdawan, Tehsil Shyamgarh, District Mandsaur (M.P.). [MIN/468228/2024] (ToR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Prahlad Rai, Director, DONYPOLO UDYOG LIMITED, R/o- Shamgarh, Tehsil- Shamgarh, District- Mandsaur, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	151 (निजी भूमि)	1.640 hectare.
स्थल	Village Makdawan, Tehsil Shyamgarh, District Mandsaur (M.P.).	

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 482 दिनांक 11/01/21 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया मंदसौर के पत्र क्रमांक 61 दिनांक 30/5/2016 के द्वारा पत्थर-9500 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट (डिया से सिया)
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone – 9500 m ³ /Year घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone – 9500 m ³ /Year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 82 दिनांक 19/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 7.640 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 82 दिनांक 19/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 82 दिनांक 19/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मकड़ावन जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 07/8/09 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण मंदसौर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-34 के सरल क्रमांक-45 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

23. Case No. P2/783/24 Shri Vishakha Mandloi R/o-Gumanpura, Bagdi, District-Dhar (MP)-454116, Prior Environment Clearance for Stone. M-Sand and Murrum in an area of 4.00 ha. (Stone (Gitti) – 90,000 m3/Year, M-Sand – 30,000 m3/Year and Murrum – 55,000 m3/Year ar) (Khasra No. 98), Village-Bamoura, Tehsil-Ujjain, District- Ujjain (MP) [MIN/467476/2024] (B2)

प्रकरण आज सेक की 757वीं बैठक दिनांक 24/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

24. Case No. P2/839/24 RAMESHWARI JAISWAL, PROPRIETOR OF M/S SATYAM STONECRUSHER, Village – Ghotaikhurd, Tehsil – Pushprajgarh, District – Anuppur, (M. P.). 484881, Prior Environment Clearance for MEDHKHAR STONE QUARRY for Stone Gitti, Quarry Project Capacity – 10200 Cubic Meter per year & Already DEIAA EC Issued. Project is located at Survey No. 12/1, in Village Medhakhar, Tehsil Pushprajgarh, District Anuppur (M.P.) Total Lease Area – 3.237Ha. [MIN/466221/2023] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सत्यम स्टोन क्रेशर प्रो. श्रीमति रामे वरी जायसवाल पति श्री संतोश कुमार जायसवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार काँग्निजेन्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स सत्यम स्टोन क्रेशर प्रो. श्रीमति रामे वरी जायसवाल पति श्री संतोश कुमार जायसवाल निवासी-घोटाईखुर्द, तहसील-पुष्पराजगढ़, जिला- अनूपपुर(म.प्र.)

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	12/1 (गासकीय भूमि)	3.237 हे.
स्थल	ग्राम –मेढाखार, तहसील– पुशपराजगढ, जिला –अनूपपुर(म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक– 1844 दिनांक 24/12/2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है रोक ब्रेकर(Rock Breaker) का उपयोग किया जावेगा ।	
प्रकरण की स्थिति	पुरानीखदान (existing mine)	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।पूर्व में डिया एनओसी प्राप्त	
टॉर	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–10,200 घन मीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 10,200 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1012 दिनांक 01/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 3.237 हे. है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1012 दिनांक 01/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं उत्खनिपट्टा वन सीमा से 250 मीटर से अधिक दूर (वनमण्डल अधिकारी वन मंडल अनूपपुर से दिनांक 06.11.2007 एवं 25.07.2015 को प्रतिवेदन प्राप्त उक्त क्षेत्र वन सीमा से 1.40 कि.मी. एवं 1.20 कि.मी. की दूरी पर) स्थित है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1012 दिनांक 01/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/ स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा रास्ता/नाला नहीं है । पक्का रास्ता 50 मीटर की दूरी पर हैं।	

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मेढाखार जिला अनूपपुर के दिनांक 15/04/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में 02 वृक्ष स्थित हैं। जिन्हे नहीं काटा जावेगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— 1.6 किलो मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में नदी स्थित हैं दक्षिण दिशा— 50 मीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में एनएच-543 सड़क स्थित है।
	उत्तर पूर्व दिशा में 50 मी. पर प्राकृतिक नाला है एवं उत्तर पूर्व दिशा में 50 मी. की दूरी पर एक इलेक्ट्रिक टॉवर/एचटी लाईन है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 50 मी. की दूरी से डबेक छोड़ा जाना प्रस्तावित है जिसे सरफेस मैप में दर्शाया गया है, उत्तर पूर्व दिशा में ही कुछ शेड स्थित हैं परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ये साईट आफिस हैं पूर्व दिशा – 100 मीटर की दूरी पर एनएच-543 सड़क स्थित है।
	पश्चिम दिशा – 125 मीटर पर मानव बसाहट हैं। सड़क से 130 मी. की दूरी छोड़ने के उपरान्त खनन क्षेत्र 2.02 हे. शेष बचा है गैर खनन क्षेत्र 1.217 हे. है। सतही मानचित्र के उपर प्रस्तुत किया गया है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-26 के सरल क्रमांक-24 पर दर्ज हैं।
जन सुनवाई	लागू नहीं।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 10,200 घन मीटर/वर्ष है।
2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

3. माईन रिस्टोreshन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
5. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
6. माईन रिस्टोreshन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
- 7- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or ay environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. **15,98,000/-** एवं रिकरिंग राशि रु. **5,50,000/-** प्रति वर्ष।

Sr. No.	Particulars	Capital Cost (in Rupees)	Recurring Cost in Rupees
A. <u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Overhead Water Sprinkling System for dust suppression @ Rs. 0.80 lakhs / system (capital cost) and Rs. 20,000 / system annual Maintenance cost.	-	-
1(b)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	20,000
1(c)	Cost of water of 5000 ltr. @ 0.15 paisa/liter of 300 days	-	2,25,000
2.	Garland Drain is proposed (575x2x1.5) 1.Settling tank is 10m x 02m x 02 2. Settling tank is 10m x 02m x 02	50,000	5,000
3	Pucca Approach Road construction with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. @500/m	2,50,000	25,000

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

	(Length - 100m x width 5m)			
4	Plantation within lease @ Rs. 150/plant x no of plants 150 X3500= 5,25,000/-	Plantation outside of lease @ Rs. 500/plant x no. of plants 500 X 400 = 2,00,000	7,25,000	72,500
	Plant Distributions @ Rs. 50/plant x no of plants,	Plantation outside (Ex. School, Grampanchayat, etc.)		
		With boundary wall @ 150/plant Without boundary wall @ 500/plant		
5	Wire Fencing (Length 925m x 250/m)		2,31,250	23,150
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year		Nil	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/10-20 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance. Number of labours only 15 nos		10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.		30,000	3,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) No. of labour 15 x 2 x 500 = Rs 15,000		Nil	15,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintenance. fire fighting equipments no. of unit 01 x 25000 = Rs. 25000 & First Aid Box No. of unit 2 x 2000 =Rs. 4000 Total Rs 29000		29,000	2,000
11	PPEs for Stone mining operations @ Rs. 1500/worker PPEs Kits - Hard hats, Safety Glasses, Mask, ear plugs, boots & gloves No. of Labours 15 x 1500/worker =Rs 22,500		Nil	22,500
12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet		30,000	3,000
13	One dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance. 1 x 5000 =Rs. 5000		5,000	2,000
14	Half yearly PUC certification for trucks @1000/truck No. of dumper/day - 2x2x1000 = Rs. 4,000		Nil	4,000
15	Grazing Land development(Native palatable Grasses for development of grazing land: Crysopogon, fulvus, Themeda triandra, Kandi etc.) Rs. @ 50,000 for mines up to		50,000	5,000

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

	5.00 ha and Rs. 10,0000 for mines>5.00 ha.		
16	Miscellaneous Expenses such as for solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera, (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/boar) etc. Solar light 1 nos. = 1x 8000 = 8000 rs. , Web Camera 1 nos. x 3500 rs. & Display Board 1 nos x 2000 = 2000rs. Total Cost Rs. 13,500	13,500	1,350
17	VT Trainings for labors (minimum @ Rs. 500 /labor) No. of Labour 10 x 500/labour = Rs. 5,000	Nil	7,500
18	Wind Breaking Wall (Length 50m, @ Rs. 500/m)	25,000	2,500
19	To reduce carbon footprint sequestration		
	19(A)	Distribution of LED Bulb	20,000
20	crusher Dust Control equipment	1,50,000	50,000
	Total	15,98,650/-	5,50,475/-

9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 50,000 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ		राशि (रू.में)
साल	गतिविधि	
1	ग्राम मेढाखार के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 50,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति मेढाखार के खाते में पर्यावरणमंजूरीकेबाद तीन माह के अंदर जमा की जावेगी ।	50,000
योग		50,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3900 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सागौन, नीम खमेर, सीताफल, मुनगा, नीलगिरी इमली बहेडा, जामुन	3500

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

	मेंसेटबैकएरियाऔरसड़ककेकिनारे	आंवला, आम एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियों। गड्डे का आकार 70×70×70 से.मी.	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियों ट्री गार्ड के साथ	400
कुल			3900
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

25. Case No. 10935/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Nimba Khedi (Lasudhiya Surajmal) Sand Quarry in an area of 8.00 ha. (3375 cum per year) (Khasra No. 240), Village-Nimbakhedi, Tehsil-Tal, District-Ratlam (MP) SIA/MP/MIN/474022/2024

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो चम्बल नदीपर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री.दिनेश शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री.मोहम्मद महमूद गौस,मेसर्सएम्प्लएन्वराॅनप्राइवेटलिमिटेड,, हैदराबाद,तेलंगाना उपस्थित हुए ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का	श्री दिनेश शर्मा, (प्रभागीय कार्यालय), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

नाम व पता	(म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	240 (सरकारी-गैर वन भूमि)	8.00 हे.
स्थल	ग्राम-निंबा खेड़ी (लसुडिया सूरजमल), तहसील-ताल, जिला - रतलाम, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-3375 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-3375 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/570 दिनांक 10/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/570 दिनांक 10/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/570 दिनांक 10/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत -लसुडिया सूरजमल, ग्रामसभा-लसुडिया सूरजमल, जिला- रतलाम के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 28/09/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा। स्टॉप डेम (0.80किमी/दक्षिण) 1.14 हे. -Blocked Area 6.86हे. -खननयोग्य	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-8 के सरल क्रमांक-12 पर दर्ज है।	
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 02/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई	

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

समिति द्वारा से संबंधित जनसुनवाई के कार्य का कार्यवाही विवरण आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकता अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक पर्यवेक्षक कार्यों की समीक्षा की गई।

1. कोई आपत्ति नहीं हैं।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 800 मी. पर एक पक्का बांध है। अतः 01 कि.मी का सेटबैक देने के बाद 1.14 हे. नॉन माईनिंग एरिया छोड़ने के बाद उत्खनन हेतु 6.86 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 6.86 हे. एवं डीएसआर के अनुसार गहराई 0.25 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 3,375 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -3,375 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र में रेत की उपलब्धता कम है एवं गहराई लगभग 0.25 मी. में पाई गई है। अतः सेमी मैकेनाइज्ड माईनिंग/मैनुअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 1.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.51 लाख प्रति वर्ष ।

EMPBUDGET

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	42480
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	100000	10000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & near by villages	12500	1250
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	2000
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	3200
9	VT Training for Labours	Nil	800
C. Emergency Rescue Plan			
10	First Aid Box & fire fighting Equipment	10000	1000
11	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc.	10000	2000
D. Solid Waste Management			
12	Bins 2 nos	1000	
Total		188500	151730

CER BUDGET

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
समीपस्थ विद्यालयमें फर्नीचर की सुविधा	40000.00
कुल	40000.00

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

1. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 750 पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

Plantation Scheme

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	निंबा खेड़ी आसपास के ग्रामों में पौधे वितरण	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	750
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रख-रखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

26. Case No. 10937/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Umariya Sand Quarry in an area of 7.540 ha. (4200 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Umariya, Tehsil-Bajna, District-Ratlam (MP) SIA/MP/MIN/474377/2024

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2024

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो माहीनदीपर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री.दिनेश शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लएन्वराॅनप्राइवेटलिमिटेड,, हैदराबाद, तेलंगाना उपस्थित हुए ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री दिनेश शर्मा, (प्रभागीय कार्यालय), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (सरकारी-गैर वन भूमि)	7.540हे.
स्थल	ग्राम-उमरिया, तहसील-बाजना, जिला - रतलाम, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2- 2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-4,200 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-4,200 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/583 दिनांक 14/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/583 दिनांक 14/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/583 दिनांक 14/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत -पिपलीपाडा, ग्रामसभा-उमरिया, जिला- रतलाम के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 06/01/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा। 2.62 हे. -Blocked Due to river channel (दक्षिण-पश्चिम में) 4.92 हे. -खननयोग्य
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-13 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 07/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई 2. कोई आपत्ति नहीं है। 3. पेड़ लगाये जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आस पास कोई भी संरचना नहीं है, लीज क्षेत्र में जल भराव एवं पानी के बहाव को बनाये रखने हेतु सेटबैक 1.62 हे. नॉन माईनिंग एरिया छोड़ने के बाद उत्खनन हेतु 4.92 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 4.92 हे. एवं डीएसआर के अनुसार रेत की गहराई 0.25 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 4200 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -4200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र में रेत की उपलब्धता कम है एवं गहराई लगभग 0.25 मी. में पाई गई है। अतः सेमी मैकेनाइज्ड माईनिंग/मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 1.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.54 लाख प्रति वर्ष

EMP Budget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	44100
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	100000	10000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & near by villages	12500	1250
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	2500
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	4000
9	VT Training for Labours	Nil	1000
C. Emergency Rescue Plan			
10	First Aid Box & fire fighting Equipment	10000	1000
11	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
D. Solid Waste Management			
12	Bins 2 nos	1000	
Total		188500	154850

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

CER

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
उमरिया गांव में वर्षा जल संचयन गड्डे	25000.00
कुल	25000.00

2. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई,3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ)नदी के किनारे कम से कम 500पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

Plantation Scheme

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	आसपास के ग्रामों में वृक्षारोपण	आंवला,मुनगा,अमरुद,सीताफल,पपीता, आम,नींबू,बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां।	500
<p>✓ वृक्षों का रोपणएवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधेSTAGGRED(आडे-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा।परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगेग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

27. Case No. 10934/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Fatehpur Sand Quarry in an area of 16.00 ha. (3000 cum per year) (Khasra No. 90, 242), Village-Fatehpur, Tehsil-Tal, District-Ratlam (MP) [SIA/MP/MIN/474117/2024

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो चम्बल नदीपर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री.दिनेश शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड,, हैदराबाद, तेलंगाना उपस्थित हुए।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री दिनेश शर्मा, (प्रभागीय कार्यालय), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	90 व 242 (सरकारी-गैर वन भूमि)	16.00 हे.
स्थल	ग्राम-फतेहपुर, तहसील-ताल, जिला - रतलाम, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2- 2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 3000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 3000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/584 दिनांक 14/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/584 दिनांक 14/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/584 दिनांक 14/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत - मरमियाखेडी, ग्रामसभा- फतेहपुर, जिला- रतलाम के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 16/08/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा। Blocked Area 3.92 Ha. Due to Stop Dam 12.08 Ha Available for Maining
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-12 के सरल क्रमांक-11 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 30/04/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई 4. कोई आपत्ति नहीं हैं। समिति द्वारा से संबंधित जनसुनवाई के कार्य का कार्यवाही विवरण आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकता अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक पर्यवेक्षक कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के दक्षिण में 683 मी. पर स्टाप डेम है। अतः 01 किमी का सेटबेक देने के बाद 3.92 हे. नॉन माईनिंग एरिया छोड़ने के बाद उत्खनन हेतु 12.08 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 12.08 हे. एवं रेत की गहराई 0.25 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 3000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 3000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

1. खनन क्षेत्र में रेत की उपलब्धता कम है एवं गहराई लगभग 0.25 मी. में पाई गई है। अतः सेमी मैकेनाईज्ड माईनिंग/मैनुअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तो का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 1.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.51 लाख प्रति वर्ष ।

EMPBudget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	42480
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	100000	10000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & near by villages	12500	1250

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	2000
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	3200
9	VT Training for Labours	Nil	800
C. Emergency Rescue Plan			
10	First Aid Box & fire fighting Equipment	10000	1000
11	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc.	10000	2000
D. Solid Waste Management			
12	Bins 2 nos	1000	
Total		188500	151730

CER

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम फतेहपुर में कौशल विकास कार्यक्रम	29000.00
कुल	29000.00

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

Plantation Sceme

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

1	आसपास के ग्राम में वृक्षारोपण	नीम, बरगद, अमलतास, आंवला एवं आम।	500
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

28. Case No. 10936/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Bhanpur (Nimbodiya) Sand Quarry in an area of 6.00 ha. (1800 cum per year) (Khasra No. 289), Village-Bhanpur (Nimbodiya), Tehsil-Jaora, District-Ratlam (MP) [SIA/MP/MIN/474021/2024

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो चम्बल नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री. दिनेश शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड,, हैदराबाद, तेलंगाना उपस्थिति हुये।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री दिनेश शर्मा, (संभागीय कार्यालय), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	289 (सरकारी-गैर वन भूमि)	6.00 हे.
स्थल	ग्राम-भानपुर (निम्बोडिया), तहसील-जावरा, जिला - रतलाम, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2- 2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 1800 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 1800 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/563 दिनांक 10/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/563 दिनांक 10/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/563 दिनांक 10/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत - निम्बोडिया, ग्रामसभा- भानपुर, जिला- रतलाम के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 20/08/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा। 4.51 मी. पर एक स्टाप डेम है। 4.64 Ha. Area blocked due to stop dam 1.36 Ha. Is mineable area.	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन	

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

स्थिति	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-12 के सरल क्रमांक-7 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 26/04/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई 1. शासकीय गोचर भूमि नहीं खोदे। पेड़-पौधे और चारे वाली जमीन नहीं खोदे। हमारी जमीन को कोई क्षति ना हो।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के दक्षिण में 451 मी. पर स्टाप डेम है। अतः 01 किमी का सेटबैक एवं चरनोई भूमि को छोड़ने के बाद 4.64 हे. नॉन माईनिंग एरिया छोड़ने के बाद उत्खनन हेतु 1.36 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 1.36 हे. एवं रेत की गहराई 0.25 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 1800घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 1800 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र में रेत की उपलब्धता कम है एवं गहराई लगभग 0.25 मी. में पाई गई है। अतः सेमी मैकेनाईज्ड माईनिंग/मैनुअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06—06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

7. रेत खदान की लोक सुनवाई के समय उठाई गई मांग के अनुसार खनन क्षेत्र के जिस भाग में शासकीय चरनोई भूमि है, वहाँ रेत का उत्खनन नहीं किया जायें।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 1.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.51 लाख प्रति वर्ष।

EMPBudget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	42480
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	100000	10000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & near by villages	12500	1250
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	2000
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	3200
9	VT Training for Labours	Nil	800
C. Emergency Rescue Plan			
10	First Aid Box & fire fighting Equipment	10000	1000

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

11	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc.	10000	2000
D. Solid Waste Management			
12	Bins 2 nos	1000	
Total		188500	151730

CER

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
समीपस्थ विद्यालय में फर्नीचर की सुविधा	25000.00
कुल	25000.00

4. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

Plantation Scheme

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	आसपास के ग्राम में वृक्षारोपण	आंवला, मुनगा, आम, जामुन, सप्तपर्णी, गुलमोहर, अमलतास इमली, अर्जुन एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां।	500
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे</p>			

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

29. Case No. 10932/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Badodiya (Rewas) Sand Quarry in an area of 6.00 ha. (3375 cum per year) (Khasra No. 136), Village-Badodiya, Tehsil-Jaora, District-Ratlam (MP) [SIA/MP/MIN/473991/2024

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो मलेनी नदीपर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री.दिनेश शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड,, हैदराबाद, तेलंगाना उपस्थिति हुए।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री दिनेश शर्मा, (संभागीय कार्यालय), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	136 (सरकारी-गैर वन भूमि)	6.00 हे.
स्थल	ग्राम-बडोदिया, तहसील-जावरा, जिला - रतलाम, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2- 2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 3,375 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 3375 घनमी./वर्ष हैं।	

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/564 दिनांक 10/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/564 दिनांक 10/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/564 दिनांक 10/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रेवास, ग्रामसभा-बडोदिया, जिला- रतलाम के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 24/04/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा। 265 मी. पर एक ब्रिज है। 500 मी. ब्लॉक करने के पश्चात खनन योग्य क्षेत्र 3.51 हे. ब्लॉक एरिया 2.49 हे.।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-9 के सरल क्रमांक-8 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 24/04/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय कार्य में रेत की आवश्यकता हो तो प्रदान की जाए। वृक्षारोपण किया जाये। पंचायत में CSR के तहत सामग्री जो आवश्यक हो प्रदान किया जाए। 2. ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय कार्य में सहयोग किया जाए। आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए खिलौने व आवश्यक सामग्री प्रदान किया जाए। स्कूल में CSR के तहत सहयोग किया जाए। कम्प्यूटर उपलब्ध किया जाए व वृक्षारोपण किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 237 मी. पर एक रोड ब्रिज है। उपलब्ध गूगल ईमेज जनवरी 2024 के अनुसार लीज क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है। गूगल ईमेज जून 2022 के अनुसार लीज क्षेत्र में रेत की उपलब्धता परिलक्षित हुई । अतः ब्रिज से 500 मी. का सेटबेक छोड़ने एवं नदी के बहाव को बनाये रखने हेतु सेटबेक के उपरांत 2.49 हे. नॉन माईनिंग एरिया छोड़ने के बाद उत्खनन हेतु 3.51 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 3.51 हे. एवं रेत

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

की गहराई 0.25 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 3375घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 3375 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र में रेत की उपलब्धता कम है एवं गहराई लगभग 0.25 मी. में पाई गई है। अतः सेमी मैकेनाईज्ड माईनिंग/मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 1.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.51 लाख प्रति वर्ष ।

EMPBudget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	42480

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	100000	10000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & near by villages	12500	1250
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	2000
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	3200
9	VT Training for Labours	Nil	800
C. Emergency Rescue Plan			
10	First Aid Box & fire fighting Equipment	10000	1000
11	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc.	10000	2000
D. Solid Waste Management			
12	Bins 2 nos	1000	
Total		188500	151730

CER

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
समीपस्थ विद्यालयों में फर्नीचर एवं आवश्यक वस्तुओंकी सुविधा	20000.00
समीपस्थ ग्रामों में स्वास्थ्य शिविर की सुविधा	19000.00

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

कुल	39000.00
------------	-----------------

5. नदीक्षेत्रहेतुनिम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार)सतत सिंचाई3, वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ(नदी के किनारे कम से कम 500पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	आसपास के ग्राम में वृक्षारोपण	आंवला, मुनगा, आम,अर्जुन, जामुन,नीम, ससपर्णी, बरगद,गुलमोहर,अमलतास,इमली एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां।	500
<p>6. वृक्षों का रोपणएवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जाएगा।</p> <p>7. प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।</p> <p>8. एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधेSTAGGRED(आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा।परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगेग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

30. Case No. 10933/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Khojan Kheda Sand Quarry in an area of 6.00 ha. (2250 cum per year)

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

(Khasra No. 02), Village-Khojan Kheda, Tehsil-Jaora, District-Ratlam (MP)
[SIA/MP/MIN/474020/2024

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो मलेनी नदीपर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री.दिनेश शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस,मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड,, हैदराबाद,तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थितिहुए।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री दिनेश शर्मा, (प्रभागीय कार्यालय), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	02 (सरकारी-गैर वन भूमि)	6.00 हे.
स्थल	ग्राम-खोजन खेड़ा,तहसील-जावरा, जिला - रतलाम, मध्य प्रदेश (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 2250 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 2250 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/568 दिनांक 10/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/568 दिनांक 10/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/568 दिनांक 10/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।	

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत -खोजन खेड़ा, ग्रामसभा-खोजन खेड़ा, जिला- रतलाम के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 18/09/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा। SW 681 मी. पर एक स्टाप डेम है। 1.65 हे. ब्लॉक एरिया। खनन योग्य क्षेत्र 4.35 हे.।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-9 के सरल क्रमांक-5 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 23/04/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई 3. 9 ठेका होता है। वह 3 ठेकों में रेत नहीं गाँव के लिए नहीं ले जाने देते हैं।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गूगल ईमेज के अनुसार लीज के दक्षिण दिशा में 01 कि.मी की दूरी पर एक स्टाप डेम है। खनन क्षेत्र में रेत उपलब्ध है । अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 6.0 एवं रेत की गहराई 0.25 मी.. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 2250 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 2250 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र में रेत की उपलब्धता कम है एवं गहराई लगभग 0.25 मी. में पाई गई है। अतः सेमी मैकेनाईज्ड माईनिंग/मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चत करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 1.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.51 लाख प्रति वर्ष ।

EMPBudget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	42480
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	100000	10000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & near by villages	12500	1250
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	2000
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	3200
9	VT Training for Labours	Nil	800
C. Emergency Rescue Plan			

**757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024**

10	First Aid Box & fire fighting Equipment	10000	1000
11	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc.	10000	2000
D. Solid Waste Management			
12	Bins 2 nos	1000	
Total		188500	151730

CER

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
समीपस्थ विद्यालयमें फर्नीचर की सुविधा	24000.00
कुल	24000.00

9. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई,3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 7200 पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	आसपास के ग्रामों में वृक्षारोपण	कुसुम, बेर, जामुन,बेल, जंगल जलेबी,सिरस, बबूल, महरूख, खैर, नीम, धावरा, कदंब, हल्दू, कनियार, कमल कैक्टस, बांस, क्रोटोन, अमलतास, गुलमोहर,शीशम, पीपल, मैक्सिकन लिलाक, चंपा, कनेर, अशोक, चमेली, करंज, इमली, अर्जुन, सागौन ।	500
<p>✓ वृक्षों का रोपणएवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधेSTAGGRED(आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं</p>			

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेंगे।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

31. Case No. 10763/2023 Anjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Mudhena Sand Quarry in an area of 2.845 ha. (52210 cum per year) (Khasra No. 15), Village-Mudhena, Tehsil-Manpur, District-Umaria (MP) [432191]

Chronology of the case

- EC recommended by SEAC in the SEAC 719th meeting dated 29.01.2024.
- SEIAA referred back this case vide their meeting no. 836th dated 01.03.2024.
परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय, क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, उमरिया का पत्र क्र. 2392 दिनांक 20/0922023 अनुसार आवेदित क्षेत्र (उत्खनि पट्टा) बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व की कोर सीमा 1.41 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। चूंकि बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व की अधिसूचना दिनांक 20/12/2016 अनुसार बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व का ईको सेंसिटिव एरिया (ESZ) कोर क्षेत्र सीमा से 2.0 कि.मी. तक है। अतः बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व के ईको सेंसिटिव एरिया (ESZ) से खदान क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में स्पष्ट जानकारी कार्यालय, क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, उमरिया से प्राप्त की जाये। प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रपिंत किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें।
- SEAC issued query in the SEAC 749-A meeting dated 09.05.2024.

समिति ने प्रकरण का परीक्षण करते हुये परियोजना प्रस्तावत को निर्देश दिये कि वे क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, उमरिया, से टाईगर रिजर्व क्षेत्र के ईको सेंसिटिव जोन (ESZ) से खदान की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2024

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 24/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, on-line मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.); उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, उमरिया, से टाईगर रिजर्व क्षेत्र के ईको सेंसिटिव जोन (ESZ) से खदान की वास्तविक दूरी के संबंध में पत्र क्रमांक 2201 दिनांक 21/05/2024 के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर ली गई है जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र (उत्खनिपट्टा) से ESZ की दूरी 1.41 कि.मी. की दूरी पर है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र से ब्रिज की दूरी लगभग 650 मी. पर है अतः 01 कि.मी का सेटबैक देने के बाद हैं 1.21 नॉन मार्ईनिंग एरिया एवं खनन योग्य क्षेत्र 1.63 हे.शेष बचता है जिसमें से रेत का उत्पादन लगभग 45,000घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जाती है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा बैठक क्रमांक 719 दिनांक 29/01/2024 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ0 जयप्रकाश शुक्ला)
को-चेयरमेन

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2024

4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

- technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled “Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area”.
 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner’s Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2024

33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
 - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
 38. **केशर अथवा एम सेड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
 - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
 39. **यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।**
1. **क्षतिपूर्ति के संबंध में:-**
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2024

3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2024

- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट मार्निंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2024

- necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following:
Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

- technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Movable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2024

32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2024

4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 मई 2024

26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2024

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :

- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्टिचिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2024

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट- 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।

757 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2024

- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Aquatic fauna** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे

Additional TOR points for Minor Minerals -
(In addition to Standard TOR)

1. **EIA for Cluster** : Cumulative Impact study is to be carried out & Cluster EMP is to be prepared
2. **Plantation scheme** : Show numbers and species in tabular form
 - A- Government land
 1. In barrier Zone
 2. In non mining area (set back)
 3. Along evacuation route
 4. Other places like School, Panchyat Bhavan, Aganwadi, Tehsil Office, Police Thana, Forest chouki etc.
 5. Distribution to nearby farmers species of Fuel, fodder, Timber, Bamboo, Medicinal plants.
 - B- In Fodder Land

Develop the grass land and seed sowing & maintain upto 5 years, include the cost in EMP
 - C- Private land – fruit bearing plant or as P.P wants desire.
 - D- Seed sowing in garland drain and periphery of mine with local seeds of soil binding nature.
3. **Set Back** – Show setback in surface plan with legend as well as set back area as per the case, according to present rules (NGT/CPCB guidelines)

1. Dammar Road	14. Forest boundary /Revenue Forests
2. Village Road	15. Wildlife area /NP/WLS
3. कच्ची सड़क (WBM)	16. ESZ area
4. Haulage road	17. Hill(पहाड़ी) Ranges more than 1 km in length having more then 2-3 hillock ranges for landscape perspective.

- | | |
|----------------------|--|
| 5. Railway line | 18. Catchment area |
| 6. Wind mills | 19. Stocked root (Area having) |
| 7. Agriculture land | 20. Nearby Biodiversity rich area. |
| | 21. Water conservation structures, stop dams |
| 8. Natural drainage | 22. Trees inside the mine |
| 9. Nala/ river | 23. Other Habitation |
| 10. Habitation, | 24. Electric high tension line |
| 11. Wells, Temples | 25. Bridges /Culverts |
| 12. Other structures | 26. Electric pole/Tower , Shamshan |
| | 27. RET species (Rare endangered and Threatened) |
13. Historical monuments rare structures such as rocks, paintings, fossils and W.L. Niche/Archaeological Site if any,
4. For blasting or for non blasting: if mine lease area within-
1. 250 m. of forest land
 2. ESZ areas , Buffer area
 3. If private land : Own/Agreement
 1. OWN
 2. Agreement if, 240 LRC, MMR rules
 3. Cost benefit ratio
 4. If grass land : grass land development & maintenance
 5. Catchment of the major river & its protection plan.
5. If area is full of trees/ root stock- study to be carried out wrt.
- Ecosystem loss studies & remedial plan

- Eco service studies
- Wildlife conservation plan
- Protection plan
- Soil & water conservation plan
- Aero biological studies
- Study of Avian flora and fauna Dam due to cutting of vegetation, trees shrubs , ecological loss & assessment of damages and its mitigation plan
- Tree inventory inside the mine area including all types of vegetation: trees, shrubs – spp girth, height , name & number of plant inside the mines areas. Mention RET (Rare threatened and endangered) species if exist there

6. **In case of expansion : area / production with wrt. MOEF&CC compliance report**

Old given E.C: condition compliance of all points with photographs

- Plantation in barrier zone
- Garland drain
- Fencing
- Excavation as per mining plan
- CER activities: Certificate and photograph
- Old production (showing on surface plan)
- Dump areas

(A) **If – Crusher & M-sand plantis in mining area**

Surface plan includes (if surface map change than it should be in mining plan , map is to be changed before mining) :

1. Mining area /Non-mining area /Crusher area/Office
2. Barrier area zone
3. Set back for sensitiveness
4. Garlanding drain
5. Settling tank with sizes according to water surface plan
6. Crusher area /M.sand plant / Slurry
7. Dumping area year wise
8. Green area /Barrier area & in non-mining area
9. Fencing
10. M -sand : Slurry management
11. Carbon foot print

(B) **If crusher is outside of mines**

1. distance from the mining area
2. establish land status .
3. permission of land owner
4. carbon sequestration due to crusher & haulage

7. **SITE VISIT REQUIREMENTS :**

Consultant must visit the site for B₁ and B₂ areas both: Following information/data is required to be collected during site visit

1. Geo tagged photos: if cluster of trees exist within mining lease , any structure within sensitivity distance
2. Site photographs
3. Mining activities going in nearby areas
4. Assessment of water level of surrounding surface water and ground water sources

5. Assessment of availability of any grazing land in nearby areas after after having discussion with local people/Panchayat
6. For B2 cases : assessment of CER needs at local level through Van sammittee/Gram Panchayat/School Principal/Aganwadi worker/Patwari

8. Regarding Public hearing

1. Names of villages around the mines area.
2. Village wise presence of people
3. Photograph
4. Map Showing the village name & population of the village which are situated around the mine.
5. Public interest works to be mentioned in CER ac activities
6. Distance from mines area in the following public places
 1. Habitation
 2. School
 3. Health centre
 4. other public places
 5. any sensitive area (men made structure / natural)

9. CER Activities

1. As demanded during the public hearing.
2. As needed or proposed during the presentation.

10. EMP as proposed in tabular form

11. Mining Activity.

- (A) If - mines in PESA areas
- full fill the all PESA related requirements
 - if land owner is tribal the collector order needed as per LPE 240 /8/9
- (B) If- within the 500 mt. radius- existing mines
- owner name
 - area
 - Compliance of plantation, fencing, garlanding drain ,settling tank according to given EC.
- (C) If M-sand proposed within 500 m of radius
- place on surface map
 - slurry management
 - Water requirement : Quantity & source
- (D) If excavation route lies on private land
- the permission of land owner for transportation.
- (E) Carbon foot print study- If production is more than below given threshold values subject to production.
1. Stone - 10,000 m³/yr with crusher, 15000 m³/yr without crusher
 2. murum- 20,000 m³/yr
 3. Clay – 30,000 m³/yr with kiln & chimney
- (F) Soil profile Not less then 3 pits per ha. with.

12. Miscellaneous

(A) Provision of Fogging machine for dust control:

If Stone production is more than 1 Lakh m³/yr then provision of fogging machine for dust control in EMP is to be made.

(B) De-watering plan if old pit is filled with water & use of water –

(C) In case of any change in method of mining, or change of surface lan due to any sensitive features Approval from concern Mining officer

(D) It there is difference in geo coordinate is observed in B1/B2 or in any case as given in mining plan or DSR, then approved geo-coordinate to be submitted as approved by Mining Officer of concerned district.

**Member
(SEAC)**

**Chairman
(SEAC)**